Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 12, December-2018, ISSN 2230-7540

अंग्रेजी काल के दौरान भारत मे शिक्षा व्यवस्था: एक अध्ययन

Ravi Dutt*

Department of Health, CHC, Khol. Rewari

सार: ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 100 वर्ष तक अंग्रेजो ने देश मे शिक्षा को प्रोत्साहित करने मे कोई रुचि नही दिखाई। इस दौरान केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु प्रयास किये गये थे। प्रारंभिक 100 वर्षों के बाद अंग्रेजो ने भारत के शिक्षा क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति की, जिसके कुछ तत्व हमें आज की शिक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिलते है।

----------X----------

व्यक्तिगत स्तर पर किये गये प्रयास

1781 मे वारेन हेसंटिंग्स ने मुस्लिम कानूनों तथा संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा के लिए बंगाल मे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की।

1791 में हिन्दू विधि, साहित्य एवं दर्शन के अध्ययन हेतु बनारस के ब्रिटिश रेजिडेन्ट, जोनाथन डंकन के अथक प्रयासों उपरान्त बनारस मे संस्कृत महाविद्यालय की नींव पडी।

1800 मे कंपनी के असैनिक अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति-रिवाजों की शिक्षा देने के लिए लार्ड वैलेजली ने फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की। यद्यपि यह कालेज 1802 मे बन्द कर दिया गया।

उपर्युक्त शिक्षा संस्थानों का मुख्य उद्धेश्य ऐसे शिक्षित भारतीयों की फौज तैयार करनी थी जो अंग्रेजो के न्यायिक एवं सामान्य प्रशासन मे अंग्रेजो के सहायक के रुप मे मदद कर सके।

समय के साथ कुछ प्रबुद्व भारतीयों ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से ही भारत मे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है।

यही से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नियमित प्रगति की शुरुआत हुई।

चार्टर एवं अधिनियमों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में किये गयें प्रयास

1813 चार्टर एक्ट:-

इस एक्ट मे शिक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी प्रति वर्ष एक लाख रुपये की राशि शिक्षा की प्रगति एवं उन्नति के लिए खर्च करेगी। किंतु इस राशि के व्यय करने के प्रश्न्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नही हो सकी।

आंग्ल-प्राच्य विवाद:-

लोक शिक्षा के सन्दर्भ मे यह विवाद उल्लेखनीय है क्योंकि भारत में इस सन्दर्भ मे दो दल आमने-सामने थे। एक दल का मानना था कि शिक्षा का आधार प्राच्य हो जबकि दूसरा दल का मानना था कि शिक्षा का आधार आंग्ल हो।

प्राच्य शिक्षा समर्थक चाहते थे कि पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के स्थान पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।

आंग्ल शिक्षा समर्थक चाहते थे कि पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य से ही भारत में शिक्षा का विकास हो सकता है। उल्लेखनीय है कि आंग्ल शिक्षा समर्थकों मे भी शिक्षा माध्यम को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ आंग्ल शिक्षा समर्थक अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनायें जाने के पक्षधर थे

जबकि कुछ समर्थक भारतीय भाषाआंे को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने के समर्थन में थे।

विवाद की स्थिति होने के कारण शिक्षा के प्रोत्साहन का उद्धेश्य अप्रभावी हो गया तथा इसके कई दुष्परिणाम निकले।

लार्ड मैकाले का स्मरण-पत्र, 1835:-

लार्ड मैकाले ने आंग्ल समर्थक दल का समर्थन किया और 02 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण-पत्र मे लिखा कि, श्सरकार के सिमित संसाधनों को ध्यान मे रखते हुए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए, माध्यम के रुप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम हैश्। मैकाले के इस सुझाव उपरान्त सरकार ने स्कूलों एवं कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया।

जेम्स थामसन का प्रयास:-

उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रान्त के उप गवर्नर जेम्स थामसन ने 1852 में देशी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनायी। इस योजना के पीछे थामसन का उद्धेश्य था कि नवगठित राज्य एवं लोक निर्माण विभागों के लिये शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें।

चाल्स वुड का डिस्पैच, 1854:-

चाल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना-कार्टा भी कहा जाता है। उन्होने सुझाव दिया कि गांवों में देशी भाषाईं प्राथमिक पाठशालायें स्थापित की जाए, उनसे उपर जिला स्तर पर आंग्ल-भाषा-हाईस्कूल तथा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित कियें जायें। डिस्पैच मे स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया । परिणामस्वरुप तीनों प्रान्तो में 1857 में विश्वविद्यालय खाले गयें और साथ मे पूसा, बिहार में कृषि संस्थान तथा रुडकी में अभियांत्रिक संस्थान की स्थापना की गईं।

हन्टर शिक्षा विभाग:-

1882 में सरकार ने डब्ल्यू डब्ल्यू हन्टर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उन्होने सरकार को सुझाव दियें कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा उपयोगी विषय और स्थानीय भाषा में हो। नारी शिक्षा के प्रति सरकार के उदासीन रैवेया पर आयोग ने खेद प्रकट किया। परिणामस्वरुप 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसके अलावा ग्राम और जिला स्तर पर भी अनेक स्कूल एवं कालेज खोले गयें।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904:-

विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करने के लिए 1902 मे सर टामस रैले की अध्यक्षता मे एक आयोग का गठन किया गया। आयोग के सुझावों के आधार पर सरकार ने 1904 मे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। अधिनियम के अनुसार-

1 विश्वविद्यालयों मे अध्ययन तथा शोध ध्यान केंद्रित किया गया।

2 अशासकीय कालेजों पर सरकारी नियंत्रण ओर कडा कर दिया गया।

3 उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिये 5 लाख रुपयें की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गयी।

इस अधिनियम की राष्ट्रीय नेताओं ने कडी आलोचना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिनियम को राष्टीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917:-

कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग ने 1919 मे अपनी सिफारिशें सरकार को दी। आयोग के अनुसार, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए तथा उसके बाद त्रिवर्षीय पाठयक्रम के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहिये। आयोग ने नारी शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने बारे सरकार को सुझाव दियें।

यद्यपि ये सिफारिशें कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए थी लेकिन सरकार ने 1920 में सभी प्रांतीय सरकारों से इन सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया।

हार्टोग समिति, 1929:-

सरकार ने शिक्षण संस्थानों मे हो रही वृद्वि के कारण गिरता शिक्षा स्तर के परिणामस्वरुप 1929 में हार्टोग समिति का

www.ignited.in

गठन किया। समिति ने अपनी सिफारिशों में प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर अधिक बल दिया।

मूल शिक्षा की वर्धा योजना, 1937:-

कांग्रेस ने शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन मे जाकिर हुसैन की अध्यक्षता मे एक समिति गठित की गई। समिति ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। योजना मे शिक्षा पाठयक्रम मे आधार दस्तकारी को शामिल करने, प्रथम सात वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, माध्यम हिन्दी करने बारे एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया।

1939 में द्वितीय विश्व युद्व प्रारम्भ हो जाने के कारण यह योजना खटाई मे पड गयी।

शिक्षा की सार्जेन्ट योजना:-

1944 मे भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जान सार्जेन्ट के नेतृत्व में शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई जिसे सार्जेन्ट योजना के नाम से जाना जाता हैं। सार्जेन्ट योजना के अनुसार 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक, 6-11 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, 11-17 आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था और उसके बाद त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। योजना मे तकनीक शिक्षा, नारी शिक्षा और विकलांगों की शिक्षा पर बल दिया गया।

यह योजना तो बना ली गई लेकिन योजना को लागू करने के लिए कोई कार्ययोजना प्रस्तुत नही ही गईं और साथ मे यह भी उल्लेखनीय है कि इंग्लैड जैसे शिक्षा स्तर को प्राप्त करना भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल न था।

वर्ष 1947 मे भारत को आजादी मिलने के साथ ही अंग्रेजी काल का अन्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेजी काल के दौरान शिक्षा क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया था, जिसके सुधार एवं विकास के लिए लगातार प्रयास चलते रहे परन्तु परिणाम आशा के अनुरुप नही रहे।

सन्दर्भ सूची:-

1. History of Education in India: Mukerjee, S.N.
2. The Development of Modern Indian Education : B. Dayal
3. History of Education in India during the British Period : Nurullah and Naik

Corresponding Author

Ravi Dutt*

Department of Health, CHC, Khol. Rewari

raviaikal@gmail.com